



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2007/फाल्गुन 18, 1928

No. 58]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2007/PHALGUNA 18, 1928

विद्युत मंत्रालय

(केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 12/एक्स/एस. टी. डी. (कॉन्)/ग्रिड/के. वि. प्रा.—केन्द्रीय विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2005 के नियम 3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की सं. 36) की धारा 177 की उप-धारा (3) द्वारा तथा अपेक्षित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2006 के मसौदे को प्रकाशित किया गया था।

अतः अब, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 7 और धारा 73 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानकों के विनियमन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम तैयार करता है, नाममात्र :-

1. अल्प नाम तथा प्रवर्तन

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियमन, 2007 के नाम से जाना जाएगा;
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (1) "अधिनियम" से अधिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की सं. 36) से है;
- (2) "उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र" से अधिप्राय है राष्ट्रीय भार जंक्शन केन्द्र (एनएलडीसी), क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) अथवा क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, जैसा भी संदर्भ हो;
- (3) "क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र" से अधिप्राय है राज्य के एक विशेष क्षेत्र में भार प्रेषण एवं नियंत्रण के लिए राज्य द्वारा तथा स्थापित केन्द्र;
- (4) "उपयुक्त संचारण यूटिलिटी" से अधिप्राय है केन्द्रीय संचारण यूटिलिटी अथवा राज्य संचारण यूटिलिटी, जैसा भी संदर्भ हो;
- (5) "स्वचालित उत्पादन नियंत्रण" (एजंसी) से अधिप्राय है विद्युत संचारण उत्पादन, टर्बो-लाइन विद्युत प्रवाह और विद्युत प्रणाली आवृत्ति को संदर्भ में चुनिन्दा इकाइयों के विद्युत उत्पादन को विनियमित करने की क्षमता से है;

- (6) "स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर" (एवीआर) से अभिप्राय एक उत्पादक यूनिट टर्मिनल वोल्टेज को विनियमित करने के लिए सतत आधार पर कार्य कर रही स्वचालित उद्दीप्तन नियंत्रण प्रणाली से है;
- (7) "ट्रिडिश मानक" (वीएस) से अभिप्राय उन मानकों और विनिर्देशनों से है, जिन्हें ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत किया गया है;
- (8) "बल्क उपभोक्ता" से अभिप्राय उस उपभोक्ता से है जो 33 कि.वो. अथवा अधिक को वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त करता है;
- (9) एक त्रि-फलक प्रणाली में एक स्थल से "भू-दोष गुणक" से अभिप्राय होता है कि भू-दोष (एक या अधिक फलकों को प्रभावित करने वाला) के दौरान एक सुदृढ़ फलक पर फेज से भूमि तक विद्युत प्रायिकता वोल्टेज के उच्चतम वर्ग माध्य मूल का अनुपात जो बिना दोष के चयनित स्थलों पर प्राप्त किया गया हो;
- (10) "भू-सम्पर्कन" से अभिप्राय है कि एक भू-सम्पर्कन साधन द्वारा चालक पुंजों और भू-सम्पर्क के सामान्य द्रव्यमान के बीच संयोजन;
- (11) "ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली" (ईएमएस) से अभिप्राय सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा मितव्ययिता कायम रखते हुए एक विद्युत प्रणाली के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए साफ्टवेयर सहित एक सम्पूर्ण प्रणाली से है;
- (12) "ईथेंट लाइविंग सुविधाओं" से अभिप्राय प्रसारण तथा अन्य उपकरणों के प्रचालनों को कालक्रमिक अनुक्रम में रिकॉर्ड करने के लिए उपलब्ध कटाए गए एक साधन से है;
- (13) "आवृत्ति" से अभिप्राय प्रति सेकेंड प्रत्याघर्ष चक्रों की संख्या (हर्ट्ज में व्यक्त) से है;
- (14) "उत्पादक इकाई" से अभिप्राय उस विद्युत उत्पादक से है जो एक विद्युत केन्द्र के भीतर उस विद्युत केन्द्र पर सभी संयंत्र और उपकरणों के साथ (संयोजन बिन्दु तक) एक मुख्य प्रवर्तक से जुड़ी है और जो सिर्फ उस जनरेटर के प्रचालन से संबंधित है;
- (15) "आईईसी मानक" से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग द्वारा अनुमोदित मानक से है;
- (16) "भारतीय मानक" (आईएस) से अभिप्राय भारतीय मानक संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों से है;
- (17) "अंतःसंयोजन बिन्दु" से अभिप्राय उस उच्च-केन्द्र अथवा मित्र चार्ज से है जिस पर अनुरोधकर्ता तथा ग्रिड के बीच अंतःसंयोजन स्थापित किया गया है;
- (18) "आईसोलेटर" से अभिप्राय विद्युत प्रणाली के एक हिस्से का दोष प्रणाली से वियोजन प्राप्त करने के एक साधन से है;
- (19) एक उत्पादन इकाई के "अधिकतम अविलत निर्धारण" (एमसीआर) से अभिप्राय निर्धारित मापदंडों पर विनिर्माता द्वारा गारंटी दिए गए जनित्र टर्मिनल पर मेगावॉट में अधिकतम अविलत उत्पादन से है;
- (20) "नई इकाई" से अभिप्राय उस उत्पादक इकाई से है जिसके लिए अनुरोधकर्ता ग्रिड के संयोजन की मांग कर रहा है;
- (21) "विद्युत कारक" से अभिप्राय एक ऐसी इलेक्ट्रीकल सर्किट में वोल्टेज और करंट काम्प्लेक्सर के बीच इलेक्ट्रीकल कोण को कोटिग्या (कोसाइन) से है;
- (22) "विद्युत प्रणाली स्टेबलाइजर" (पीएसएस) से अभिप्राय उस नियंत्रक उपकरण से है जो एक समकालिक मशीन के विद्युत पोलन अवमंदन के लिए वोल्टेज नियंत्रक के माध्यम से उद्देजन को नियंत्रित करने के लिए गति, प्रायिकता तथा विद्युत के निर्विष्ट सिग्नलों को ग्रहण करता है;
- (23) "संरक्षण प्रणाली" से अभिप्राय उस उपकरण से है जिसके द्वारा ग्रिड में अनियमित परिस्थितियों का पता लगाया जाता है तथा प्रचालक द्वारा बिना हस्ताक्षेप के दोष क्लीयरेंस, संचालन संकेत अथवा निर्देशन आरंभ किए जाते हैं;
- (24) ऐसी विद्युत प्रणाली में "प्रतिधारी विद्युत" से अभिप्राय है धारा माध्य मूल (आरएमएस) वोल्टेज, वर्ग माध्य मूल (आरएमएस) धारा तथा वोल्टेज काम्प्लेक्सर तथा धारा काम्प्लेक्सर के बीच वैद्युत फलक कोण की ज्या (साइन) का प्रतिकत, जो वोल्टेज एम्पियर प्रतिघाता (पौएआर) मानक गुणक में अभाषित है;
- (25) "अनुरोधकर्ता" से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जैसे एक उत्पादक कंपनी के टिप्टि उत्पादक संयंत्र सहित अथवा संचारण लाइसेंस-धारक (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी और राज्य पारेषण यूटिलिटी को छोड़कर), वितरण लाइसेंसधारक अथवा बल्क उपभोक्ता जो 33 कि.वो. और उससे अधिक के वोल्टेज स्तर पर ग्रिड से अपने नए अथवा विस्तारित वैद्युत संयंत्र का संयोजन प्राप्त कर रहा है;
- (26) "स्काहा" से अभिप्राय है पर्यवेक्षक नियंत्रण तथा डाटा अर्जन प्रणाली, जो संचार संयोजनों पर दूरस्थ स्थलों से डाटा अर्जित करती है तथा प्रयोधन, पर्यवेक्षण नियंत्रण के साथ-साथ निर्णय लेने के लिए केन्द्रीकृत नियंत्रण स्पलत पर प्रक्रमण करती है;
- (27) "स्थल संज्ञा उद्देख" से अभिप्राय है एक उद्देख जिसे एक संयोजन स्थल जो संयोजन स्थल का विन्यास बताता है, संज्ञा पुस्तिका तथा नियंत्रण उद्देखों को संज्ञा सेवाओं को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है;

- (28) "स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची" (एसआरएस) से अभिप्राय है अंतःसंयोजन बिन्दु पर उपस्कर के नियंत्रण, प्रचालन तथा अनुक्षण के लिए स्वाभिव्य, स्थित्व दर्शने के लिए एक अनुसूची है;
- (29) "प्रणाली संरक्षण स्कीम" से अभिप्राय एक ऐसी स्कीम से है जो असामान्य प्रणाली परिस्थितियों का पता लगाने के लिए तैयार की गई है और जो प्रणाली सम्पूर्णता के संरक्षण के लिए पूर्वनिर्धारित, उपचारार्थक कार्रवाई कर सके और स्वोकार्य प्रणाली निष्पादन उपलब्ध करा सके;
- (30) "ताप विद्युत उत्पादक इकाई" से अभिप्राय उस उत्पादक इकाई से है जो जोखिम ईंधन जैसे कोयला, लिग्नाइट, पौसीय तथा तरल ईंधन का प्रयोग कर रही है;
- (31) "कूल हार्मोनिक विकृति" (टीएचडी) से अभिप्राय घोलता अथवा करंट धारा रूप (जो आदर्शतः ज्यवक्रिय होगा) की विकृति का माप है और यह मूल की मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त सभी खोलता के वर्गों का योग अथवा करंट हार्मोनिक का वर्गमूल है;
- (32) "संचारण प्रणाली" से अभिप्राय है संचारण लाइनों तथा उप केन्द्रों का नेटवर्क;
- (33) "अंडर आधुति प्रसारण" से अभिप्राय है एक ऐसा प्रसारण जो तब कार्य करता है जब प्रणाली प्रायिकता पूर्व-निर्धारित मूल्य से नीचे गिर जाती है;
- (34) "उपभोक्ता" से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जैसे एक उत्पादक कंपनी कोटिब उत्पादक संयंत्र सहित अथवा संचारण लाइसेंसधारक (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी और राज्य पारेषण यूटिलिटी के अतिरिक्त), वितरण लाइसेंसधारक अथवा बल्क उपभोक्ता जिसका इलैक्ट्रिकल संयंत्र 33 कि.वो. और इससे अधिक के वोल्टता स्तर पर ग्रिड से जुड़ा है; और
- (35) "वोल्टेज असंतुलन" तीनों फेजों की औसत लाइन वोल्टता द्वारा विभाजित उच्चतम और न्यूनतम लाइन के बीच विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जिनको इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, के लिए अधिनियम में इनके लिए जो अर्थ दिए गए हैं, वही रहेंगे।

3. विनियमों की प्रयोग्यता

ये विनियम सभी उपभोक्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी तथा राज्य पारेषण यूटिलिटी पर लागू होंगे।

4. उद्देश्य

- (1) इन विनियमों का उद्देश्य ग्रिड का सुरक्षित प्रचालन, सुव्यवस्था तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए है।
- (2) तप संयोजन का ग्रिड पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रिड केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संचारण लाइनों के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए ग्रिड मानदंड) विनियम जैसे और जब भी वे लागू होंगे, के अनुसार विशिष्टीकृत विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा पुणवता के साथ कार्य करना जारी रखेंगे। तथापि अनुरोधकर्ता अथवा उपभोक्ता के संयंत्र और उपकरणों के संरक्षण के लिए इन विनियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- (3) एक अनुरोधकर्ता को ग्रिड में शामिल होने के लिए अपनी प्रणाली द्वारा पूरा किए जाने वाले मानकों और शर्तों की पत्रले से ही जानकारी होना अपेक्षित है।

5. मानक

उपकरण ग्रिड से संयोजन के लिए तकनीकी मानकों के प्रावधानों के अनुसरण में आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जैसा कि इन विनियमों को अनुसूची और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संचारण लाइनों के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए ग्रिड मानदंड) विनियम, जैसे और जब भी वे लागू होंगे, और ग्रिड कोड तथा स्टेट ग्रिड कोड जैसाकि उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, में दिया गया है।

6. सामान्य संयोजन परिस्थिति

- (1) अनुरोधकर्ता विनिर्माण, प्रचालन और रख-रखाव तथा संयोजन एवं अन्य सांघिक प्रावधानों के लिए विनियमों के अध्याधीन अपने स्वयं के उपकरणों की योजना, अभिकल्प, विनिर्माण, विश्वसनीयता, संरक्षण तथा सुरक्षित प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता को ग्रिड के साथ अंतःसंयोजन को अनुमति देने के लिए उपयुक्त संचारण यूटिलिटी अथवा लाइसेंसधारक अथवा उत्पादक स्टेशन, जिसकी प्रणाली द्वारा अंतःसंयोजन का प्रस्ताव है, द्वारा आंकड़े प्रस्तुत करना गण्येक्षित है।

- (3) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता आवाज और आंकड़ों के संचारण तथा ऑन-लाइन प्रचलनात्मक आंकड़ों के हस्तान्तरण जैसे वोल्टज, आवृत्ति, लाइन प्रवाह, ब्रेकर एवं आइसोलेटर की स्थिति तथा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा-निर्धारित अन्य मानदंडों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
- (4) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता नीचे सूची में दिए गए मामलों, किन्तु इन तथा संश्लिष्ट नहीं, के संबंध में क्षेत्रीय विद्युत समिति तथा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्रों के साथ सहयोग करेंगे :-
- (क) इसके संरक्षणात्मक प्रसारण का तदनुसार संरक्षण समन्वय तथा सेंटिंग;
- (ख) अपने अधिकार क्षेत्र में मोटरों और संचारण प्रणाली को अक्षयी स्थिति में रखने को सहमत;
- (ग) उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा-निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभवतया प्रचालनों जैसे लोड रीडिंग, उत्पादन को बढ़ाना अथवा कम करना, आईलैंडिंग, ब्लैक स्टार्ट, स्टार्ट-अप पावर उपलब्ध कराना तथा मरम्मत में भाग लेना;
- (घ) प्रणाली अध्ययन अथवा ट्रिपिंग के विश्लेषण को सुकर बनाने अथवा विद्युत प्रणाली में व्ययधान के लिए उपयुक्त संचारण यूटिलिटी अथवा संचारण लाइसेंसधारक, उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र, उपयुक्त क्षेत्रीय विद्युत समिति तथा प्राधिकरण अथवा उपयुक्त सरकार द्वारा गठित कोई अन्य समिति द्वारा यथा-अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करना;
- (ङ) शार्ट-सर्किट लेवल, संरक्षण समन्वय तथा प्रचालन आवश्यकताओं के कारण आवश्यक माने गए अन्य तकनीकी कारणों के संबंध में उसके उपकरणों में संशोधन करना;
- (च) क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा यथा-अनुमोदित उत्पादन इकाईयों तथा संचारण लाइनों के संबंध में राज्ज और क्षेत्र के सामन्वित कानबन्दी योजना का पालन करना; और
- (छ) उत्पादन इकाई की उद्दीयन प्रणाली में उपलब्ध कराए गए विद्युत प्रणाली स्टैंडलाइन्स की ट्यूनिंग के लिए क्षेत्रीय विद्युत समिति के साथ सहयोग करना।
- (5) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता अपनी प्रणाली के नियंत्रण और टैली-मीटरिंग विशेषताओं का स्वचालित उत्पादन नियंत्रण, स्वचालित भार रीडिंग, विशेष संरक्षण प्रणाली, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और संबंधित अन्य अथवा क्षेत्र की स्काटा प्रणाली में समकन करने के लिए प्रबंध करेंगे।
- (6) अंतःसंयोजन अध्ययन के लिए, अनुरोधकर्ता उपयुक्त संचारण यूटिलिटी के पास योजना अवस्था में संयोजन के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि एक अनुरोधकर्ता वितरण प्रणाली से अंतःसंयोजन की मांग करता है तो ऐसा अनुरोध वितरण लाइसेंसधारक के पास किया जाएगा। उपयुक्त अंतःसंयोजन यूटिलिटी अथवा वितरण लाइसेंसधारक अंतःसंयोजन उपलब्ध कराने के लिए अंतःसंयोजन का केन्द्र निर्धारित करने, अपेक्षित अंतःसंयोजन सुविधाएं तथा मौजूदा ट्रिडों पर अपेक्षित संशोधन, यदि कोई हों, का अंतःसंयोजन अध्ययन कर सकता है। अध्ययन में संचारण प्रणाली क्षमता, परिणामन स्थिरता, वोल्टेज स्थिरता, हावि, वोल्टा विनियमन, हारमोनिक्स, वोल्टा फ्लिकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परिणमन, मशीन डाइनेमिक्स, फेरी रेजोनेंस, मीटरिंग आवश्यकताएं, संरक्षणात्मक प्रसारण, उपस्थेशन धू-सम्पर्कन तथा दाय ड्यूटी, जैसा भी मामला हो, का भी समाधान किया जाएगा।
- (7) (1) ग्रिड के साथ अनुरोधकर्ता की प्रणाली का प्रत्येक संयोजन अनुरोधकर्ता और
- (क) अंतराज्य संचारण प्रणाली अथवा अंतराज्य संचारण प्रणाली, जैसा भी संदर्भ हो, को संयोजन के मामले में उपयुक्त संचारण यूटिलिटी;
- (ख) वितरण लाइसेंसधारक की प्रणाली के अंतःसंयोजन के मामले में वितरण लाइसेंसधारक; और
- (ग) संचारण लाइसेंसधारक और उपयुक्त संचारण यूटिलिटी, एक संचारण लाइसेंसधारक के अंतःसंयोजन के मामले में (त्रिपक्षीय करार)।
- (2) संयोजन करार में उस संयोजन पर लागू सामान्य और विशिष्ट तकनीकी स्थितियां शामिल होंगी।

7. स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची

- (1) प्रत्येक संयोजन बिंदु के लिए उप-केन्द्र के स्वामी द्वारा जहां संयोजन लगाया जा रहा है, एक स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची (एसआरएस) तैयार की जाएगी।
- (2) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची में निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी, नामशः :-
- (क) इलेक्ट्रीकल उपकरण सेवा एवं आपूर्ति की अनुसूची;
- (ख) दूरसंचार तथा मापन उपकरणों की अनुसूची; और
- (ग) प्रत्येक संयंत्र तथा उपकरण पर लागू सुरक्षा नियम।

- (3) संयोजन स्थल पर अधिष्ठापित उपकरणों की प्रत्येक मद के लिए स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची में निम्नलिखित सूचनां भी प्रस्तुत की जाएगी, नामशः :-
- (क) उपकरण का स्वाभित्त्व;
- (ख) उपकरण के नियंत्रण का उत्तरदायित्व;
- (ग) उपकरण के रख-रखाव का उत्तरदायित्व;
- (घ) उपकरण के प्रचालन का उत्तरदायित्व;
- (ङ) स्थल का मनेजर;
- (च) स्थल पर व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का उत्तरदायित्व; और
- (छ) स्थल पर उपकरणों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का उत्तरदायित्व ।

8. संयोजन स्थल पर पहुंच

वैद्युत संयंत्र के अनुरोधकर्ता अथवा प्रयोगकर्ता, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारक अथवा उपयुक्त संयोजन यूटिलिटी अथवा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र, जिसका उपकरण अधिष्ठापन, प्रचालन और उपकरण के रख-रखाव इत्यादि के लिए संयोजन स्थल पर अधिष्ठापित है अथवा अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है, को उचित पहुंच और अन्य अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

9. स्थल साइज अधिरोध

प्रत्येक संयोजन बिंदु के लिए स्थल साइज अधिरोध उप-केन्द्र के स्वामी, जहां संयोजन किया जा रहा है, को द्वारा तैयार किए जाएंगे ।

अनुसूची

(विनियम सं. 5 देखें)

ग्रिड में संयोजन के लिए मानक

भाग I

सामान्य

1. कार्यप्रणाली के मानक एवं कोड

- (1) अनुरोधकर्ता उपकरण अधिष्ठापन और इसके प्रचालन एवं प्रबोधन के संबंध में उद्योग सर्वोत्तम कार्यप्रणाली तथा लागू उद्योग मानकों का अनुसरण करेगा ।
- (2) ओवरहेड लाइनें और केबल सहित सभी उपकरण संगत भारतीय मानकों, ब्रिटिश मानकों (बीएस) अथवा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक तकनीकी आयोग (आईईसी) मानक अथवा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट (एनएसआई) अथवा किसी अन्य समान अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुपालन करेंगे ।
- बशर्तों की जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मानक अथवा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक तकनीकी आयोग (आईईसी) मानक का अनुसरण किया जाता है तो उक्त मानकों को वास्तव में अंगीकार करने के पहले अधिहित प्रणाली प्राथिकता, अधिहित प्रणाली शैल्यता, परिवेशी तापमान, आर्द्रता तथा भारत में प्रचलित अन्य परिस्थितियों के लिए आवश्यक सुधार अथवा संशोधन किए जाएंगे ।
- (3) संयोजित सुविधाओं के आरेखन और प्रचालन में वायु, तूफान, बाढ़, तड़ित, उद्विक्लेश, तापमान आधिक्य, आर्द्रता, प्रदूषण और भूकम्प के प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए ।
- (4) अनुरोधकर्ता द्वारा उपकरण का अधिष्ठापन, प्रचालन तथा रख-रखाव अधिनियम की धारा 177 तथा धारा 73 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट संगत मानकों के अनुसार होगा, जब कभी वे लागू हों ।

2. सुरक्षा

अनुरोधकर्ता भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के विनियमों का तब तक अनुपालन करेगा, जब तक कि कोन्सीय विद्युत प्रतिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति) विनियम लागू नहीं होते ।

3. उपकेन्द्र भू-संपर्कन

प्रत्येक संयोजन उपकेन्द्र का एक भू-संपर्कन मैट होगा जो सभी धात्विक ढांचों और अन्य गैर-ऊर्जावित्त धात्विक उपकरण से सुदृढ़ रूप से जुड़ा हुआ । यह मैट भू-संपर्कन संभाव्यता प्रवणता को ऐसे वोल्टेज और करंट स्तरों तक सीमित करेगा जो लोगों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा अथवा उसमें लगे उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समान्य और खराबी की स्थिति में, स्टेशन अथवा स्टेशन से पारवर्त्य में ।

792 GI/07-2